भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/05/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15 जुलाई, 2025

शुद्धिपत्र अधिसूचना

मामला सं.-एडी(ओआई) 05/2024

विषय: ईरान और कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/05/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "पाटन रोधी नियम" या "नियम" कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, ईरान और कतर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "लीनियर अल्काइल बेंजीन" (एलएबी) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26 मार्च, 2025 के अंतिम निष्कर्षों के पैरा 141 में शुल्क तालिका में स्तंभ 5 के क्रम संख्या 1 और 4 को क्रमशः "**ईरान सहित कोई भी देश**" और "**कतर सहित कोई भी देश**" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी